

FORM No. III


फर्द अहकाम

नियम (26)

अज अदालत सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)..... मुकाम

नामा रिडि बगाम सलमा

किस्म मुकदमा..... नं. 20 सन् 2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तामील मे जारी हुए
14/8/25	<p>प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पण्डित दीनदयाल उपाध्याय संबल पखावाडा 2025 के द्वारा प्राप्त हुआ ,जिसमे प्रार्थी का माता ने प्रा0 पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व अभिलेख में नाबालिक रिंकु पुत्री परस्या नाम दर्ज है,यह ग्राम नीमोला तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा के निवासी है । जमांबदी सवत् 2074 से 77 मुताबिक खसरा नबर 1202/379, 1203/709 व 1204/714 में काशतगार का नाम नाबालिक रिंकु पुत्री परस्या दर्ज है। जिसकी शुद्धि के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया है उक्त प्रकरण की संबधित पटवारी भू अभि. निरीक्षक क्षेत्र द्वारा दुरस्ती करने अनुशंसा की गई । अतः तहसीलदार पीपल्दा की रिपोर्ट के आधार पर नाबालिक रिंकु पुत्री परस्या के स्थान पर नाबालिक रिंकु पुत्री परसुराम नाम दर्ज किया जावे । आज दिनांक 18/8/25..... को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।</p> <p> उपखण्ड अधिकारी इटावा</p>	